<u>अधिसूचना</u>

सं0 15/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016.

सा0का0नि0.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-श्ल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 5/2011-केन्द्रीय उत्पाद-श्ल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2011 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3) उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 136(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अधिक्रान्त करते हुए, सिवाय उन बातों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ब्याज की दर को पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर पर नियत करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगी ।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरय्)

(मोहित तिवारी) अवर सचिव, भारत सरकार